रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 1996/भाद्र 11, 1918
No. 159] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 1996/BHADRA 11, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 374 (पी. एन.)/92—97

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1996

फा. सं. 5/6/96-97/पी. सी.-2.—यथासंशोधित निर्यात एवं आयात नीति, 1992—97 के पैराग्राफ-16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा वर्तमान पैराग्राफ-262 के बाद निम्नलिखित को नए पैरे 263 के रूप में शामिल करते हुए, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

"विशेष आयात लाइसेंस की उचित सुपुर्दगी

263. विदेश व्यापार महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालयों को सौंपे गये किसी भी विशेष आयात लाइसेंस को लोकहित के ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के साथ पुनः नए सिरे से जारी किया जा सकता है जैसा कि सरकार समझती हो ।"

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 374 (PN)/92—97

New Delhi, the 2nd September, 1996

F. No. 5/6/96-97/PC.II.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992—97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. 1) as amended by way of incorporating the following as a new Paragraph 263 after the existing Paragraph 262 :

"Surrender of SIL

263. Any Special Import Licence surrendered to Directorate General of Foreign Trade and its regional offices may be re-issued afresh with such conditions and for such purposes related to public interest as may be deemed fit by Government."

3. This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade

2116GI/96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996